



इलाहाबाद उच्च न्यायालय

लखनऊ

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 482 संख्या – 4889 वर्ष 2026

सारा सिंह उर्फ शेरा सिंह उर्फ अभय प्रताप सिंह
एवं 8 अन्य

.....प्रार्थी(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा सचिव गृह विभाग,
लखनऊ एवं अन्य

.....प्रतिवादी(गण)

प्रार्थी(गण) के अधिवक्ता	: अमित कुमार
प्रतिवादी(गण) के अधिवक्ता	: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या –13

माननीय न्यायमूर्ति श्री प्रवीण कुमार गिरि

- विपक्षी संख्या 2 की ओर से अधिवक्ता श्री प्रवीण कुमार द्वारा दाखिल वकालतनामा अभिलेख पर लिया गया।
- प्रार्थियों के विद्वान अधिवक्ता, राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता, विपक्षी संख्या 2 के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।
- वर्तमान आवेदन के माध्यम से, प्रार्थियों ने सिविल जज, जे.डी. हरदोई के न्यायालय में लंबित वाद (राज्य बनाम सारा सिंह उर्फ शेरा सिंह उर्फ अभय प्रताप सिंह व अन्य) में वाद अपराध संख्या 269/2017, धारा 498ए, 452, 504, 506 भा.द.सं. तथा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम, थाना-बिलग्राम, जिला- हरदोई के अंतर्गत संपूर्ण कार्यवाही, साथ ही 27.11.2025 के समझौते के आलोक में

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

22.06.2020 के आक्षेपित तलबी आदेश और 09.09.2018 की आरोप पत्र को निरस्त करने की प्रार्थना की है।

4. प्रार्थियों के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि कुछ गलतफहमी के कारण प्रार्थियों के विरुद्ध वर्तमान प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी और तत्पश्चात पक्षों ने साथ बैठकर अपने विवाद को सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझा लिया है, जिसे 27.11.2025 को लिखित रूप दिया गया है। उन्होंने आगे कहा कि इसके बाद प्रार्थियों ने समझौता विलेख के सत्यापन हेतु विचारण न्यायालय को निर्देश देने के लिए वर्तमान आवेदन दायर किया और 16.01.2026 के आदेश के अनुपालन में, सत्यापन किया गया और इस न्यायालय को रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी गई है। उनका तर्क है कि वर्तमान मामले में आगे की आपराधिक कार्यवाही उत्पीड़न के समान होगी और इसलिए आक्षेपित आपराधिक कार्यवाही को निरस्त किया जाए।

5. विपक्षी संख्या 2 के विद्वान अधिवक्ता ने भी प्रार्थियों के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों का समर्थन किया है और कहा है कि पक्षों ने अपने विवाद को सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझा लिया है और विपक्षी संख्या 2 को कोई शिकायत नहीं है, अतः प्रार्थियों के विरुद्ध आपराधिक कार्यवाही समाप्त की जा सकती है।

6. राज्य के अधिवक्ता को उपरोक्त तर्कों पर कोई आपत्ति नहीं है।

7. पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के उपरोक्त तर्कों पर विचार करते हुए, मैं पाता हूँ कि पक्षों के बीच 27.11.2025 को समझौता हुआ है और उक्त समझौते का सत्यापन 09.02.2026 को किया गया है और अब, पक्षों के अधिवक्ताओं के कथन के अनुसार, वे उक्त आपराधिक मामले पर जोर नहीं देना चाहते हैं।

8. उपरोक्त के दृष्टिगत, चूंकि प्रार्थियों और विपक्षियों के बीच समझौता हो गया है और अब कोई शिकायत शेष नहीं है, अतः बी.एस. जोशी व अन्य बनाम हरियाणा राज्य व अन्य (2003) 4 एससीसी 675; निखिल मर्चेट बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो (2008) 9 एससीसी 677; मनोज शर्मा बनाम राज्य व अन्य (2008) 16 एससीसी 1; ज्ञान सिंह बनाम पंजाब राज्य (2012) 10 एससीसी 303; और नरिंदर सिंह व अन्य बनाम पंजाब राज्य (2014) 6 एससीसी 466 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णयों के

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



आलोक में उक्त आपराधिक मामले में आगे की आपराधिक कार्यवाही निरस्त किए जाने योग्य है।

9. तदनुसार, थाना बिलग्राम, जिला हरदोई के अपराध संख्या 269/2017, धारा 498ए, 452, 504, 506 भा.द.सं. तथा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अंतर्गत, सिविल जज, जे.डी. हरदोई के न्यायालय में लंबित वाद (राज्य बनाम सारा सिंह उर्फ शेरा सिंह उर्फ अभय प्रताप सिंह व अन्य) को निरस्त करने हेतु आपराधिक कार्यवाही, साथ ही दिनांक 22.06.2020 का आक्षेपित तलबी आदेश और दिनांक 09.09.2018 की आरोप पत्र, एतद्द्वारा निरस्त किए जाते हैं।

10. समझौता इस आदेश का भाग होगा।

11. आवेदन तदनुसार स्वीकार किया जाता है।

12. पत्रावली दाखिल दफ्तर की जाए।

(न्यायमूर्ति श्री प्रवीण कुमार गिरि)

12 जून, 2026

वी.सिन्हा

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।